संख्या-231/2017/1910/22-2-2016-17(70)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2017***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शरीफ पुत्र श्री मजीद, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी शरीफ पुत्र श्री मजीद, ग्राम-सरैया वर्तमान देवीस्थान, थाना-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। पारिवारिक रंजिश में दिनांक 19.06.1999 को प्रातः लगभग 08.30 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ छुरी, चाकू व गोश्त काटने वाली कुल्हाडी से कमाल अहमद उर्फ गुड्डू की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-453/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-6, लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 25-09-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2008 अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 16 वर्ष 09 माह 12 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 00 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पारिवारिक रंजिश में छुरी, चाकू व गोश्त काटने वाली कुल्हाडी से कमाल अहमद उर्फ गुड्डू की हत्या करने का अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-41 वर्ष 11 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शरीफ पुत्र श्री मजीद, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शरीफ (बन्दी संख्या-14630) पुत्र श्री मजीद, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-231/2017/1910(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-231/2017/1910@22-2-2016-17(70)/2014
दिनांक 27 मार्च, 2017 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध शरीफ (बन्दी संख्या-14630) पुत्र श्री मजीद, ग्राम-सरैया वर्तमान देवीस्थान, थाना-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। पारिवारिक रंजिश में दिनांक 19.06.1999 को प्रात: लगभग 08.30 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ छुरी, चाकू व गोश्त काटने वाली कुल्हाडी से कमाल अहमद उर्फ गुड्डू की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-453/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-6, लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 25-09-2001 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2008 अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.10.2015 तक 15 वर्ष 11 माह 23 दिन की अपरिहार तथा 20 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा पारिवारिक रंजिश में छुरी, चाकू व गोश्त काटने वाली कुल्हाडी से कमाल अहमद उर्फ गुड्डू की हत्या करने का अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-41 वर्ष 11 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शरीफ पुत्र श्री मजीद, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।